न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीरावाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 6/2018

उनवान

1. सोहन पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी ग्राम चांदसेन, नसीरावाद
— — प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. काना,
2. प्रभु पुत्र श्रवण,
3. जगन्नाथ पुत्र हजारी,
4. गुमान पत्नी भागचन्द
5. रिंकू ना.बा.,
6. मुकेश ना.बा. पि. भागचन्द, जरियें संरक्षक माता,
7. घासी पुत्र रामचन्द्र,
8. पांची पत्नी हजारी जाति जाट नि. चांदसेन, नसीराबाद (फौत)
8/1. जगन्नाथ पुत्र हजारी
8/2. गुमान पत्नी भागचन्द पुत्र वधु हजारी
8/3. मुकेश पौत्र हजारी पुत्र भागचन्द
8/4. रिंकू पौत्री हजारी पुत्री भागचन्द
9. जगन्नाथ,
10. मंगला पि. धूकल
11. सोजी पुत्र धूकल जाति माली नि. चांदसेन, नसीराबाद
12. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई, नसीराबाद व
13. एस.बी.बी.जे. शाखा तिहारी, नसीराबाद
14. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
15. रघुनाथ पुत्र रामकरण

— — अप्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 7.6.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] कर [illegible] किया कि ग्राम चांदसेन के खाता संख्या 267/276 व 268/274 में वर्णित आराजी [illegible] र्थी का आधा हिस्सा है। प्रार्थी अपने खातेदारी खसरा नम्बर 121[illegible] [illegible] खसरा नम्[illegible] 1132/1668, 1133, 1134 व 1215 से [illegible] प्रवेश करता है। उक्त [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अतिरिक्त प्रार्थी के खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता विधमान नही है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1132, 1132/1668, 1133, 1134 व 1215 में से 15 फिट चौडा रास्ता प्रदान किया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। अपार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम चांदसेन के खाता संख्या 267/276 व 268/274 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का आधा हिस्सा है। शेष आधे हिस्से के खातेदार को व सम्पूर्ण पडौसी खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थना पत्र में पांची की मृत्यु 8 माह पूर्व हो चुकी है। अप्रार्थीगण की आराजी पर कोई भी रास्ता मौके व रेकार्ड में नही है। प्रार्थी अपने परिवार के व्यक्ति की संयुक्त खातेदारी भूमि में से आवागमन करते है। उक्त भूमि का बिना बंटवारा कराये अप्रार्थीगण की भूमि हडपने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 8 की मृत्यु होने से उसके वारिस रेकार्ड पर लिये गये। प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया तथा मौका पर्चा तैयार किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम चांदसेन के हाल खसरा नम्बर 1213 व 1214 की आराजी प्रार्थी व अन्य व्यक्ति की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम आधे हिस्से की खातेदारी दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 1132, 1132/1668, 1133, 1134 व 1215 राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार "खसरा नम्बर 1213 व 1214 में आने-जाने हेतु लघुतम मार्ग खसरा नम्बर 1132, 1132/1668, 1133, 1134 व 1215 में से दर्शाया गया है। तथा आराजी मुतनाजा पर आवागमन हेतु दीर्घतम मार्ग खसरा नम्बर 1227, 1228, 1229, 1233, 1238, 1242, 1244, 1060 में से प्रसतावित किया गया है। लघुतम मार्ग हेतु प्रस्तावित रकबा 904 वर्ग मीटर व दीर्घतम मार्ग हेतु प्रस्तावित रास्ता 1704 वर्ग मीटर है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता है। प्रस्तावित लघुतम व दीर्घतम मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रस्तावित लघुतम रास्ता व चांदसेन से कुराडी जाने वाली कच्ची सडक खसरा नम्बर 1124 के मध्य सम्पर्क रास्ता खसरा नम्बर 1128 राजस्व नक्शे में दर्शित है जो मौके पर रास्तें के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। परन्तु जमाबंदी में खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.05 गोपाल पुत्र मंगा कौम रेबारी के नाम दर्ज है। प्रसतावित लघुतम रास्ता प्रार्थी को आवागमन हेतु दिया जाता है तो खसरा नम्बर 1128 को भी सिवायचक दर्ज किया जाना उचित होगा।" अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्यों की सह खातेदारी आराजी का आवागमन हेतु उपयोग किया जा रहा है। किन्तु मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अप्रार्थी द्वारा स्पष्ट नही किया है कि प्रार्थी द्वारा कौन से खसरा नम्बर की भूमि का अवागमन हेतु उपयोग किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2022 को मौका निरीक्षण किया गया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1227, 1228, 1229 में से लगभग 3-4 फिट चौडी पंगडंडी है जिसमें वर्तमान में चालू रास्ता अत्यंत संकीर्ण है। उक्त रास्ते का उपयोग कृषि कार्य यथा कृषि यंत्र, व चारा आदि परिवहन हेतु किया जाना संभव नही है। साथ ही उक्त रास्ता दीर्घतम भी है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी के पास उपलब्ध नही है। प्रत्येक कृषक/खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

शेष।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रार्थी को ग्राम चांदसेन के खसरा नम्बर 1132 में से 48 मीटा लम्बा, 1132/1668 में से 28 मीटर लम्बा, 1133 में से 54 मीटर लम्बा, 1134 में से 48 मीटर लम्बा व 1215 में से 48 मीटर लम्बा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सभी खसरा नम्बर में 4 मीटर चौडा कुल 904 वर्ग मीटर रास्ता प्रार्थी को प्रदान किया जावे। रास्ते की भूमि के बदले डी0एल0सी0 दर की दो गुना राशि 21020 अक्षरे इक्कीस हजार बीस रूपये की राशि खातेदारों को भूगतान होने के बाद तहसीलदार नसीराबाद राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested